अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

बनाम

सुरिंदर कुमार धवन और अन्य

(सिविल अपील सं. 4349/2004)

18 फरवरी, 2009

[न्यायाधिपति आर. वी. रवींद्रन और जी. एस. सिंघवी]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987:

धारा 10-ब्रिज कोर्स – 10 + 2 के साथ डिप्लोमा धारकों को उच्च न्यायालय द्वारा उनकी योग्यता को उन्नत करने की अनुमति- एक अन्य आदेश द्वारा योग्यता 10 + 2 के बजाय 10 + 1 तक कम कर दी गई -आदेश एक बार के उपाय के लिए थे लेकिन कई वर्षों के लिए बढ़ाया गया- **निर्धारित** उच्च न्यायालय के आदेशों का एकत्रित प्रभाव शैक्षिक मानकों को अनजाने में कमज़ोर कर दिया, जिससे इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के मानकों और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा- न्यायालयों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए – शिक्षा- गुणवत्ता और मानकों को बनाये रखना।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इन अपीलों में अपीलार्थी अर्थात

अखिल भारतीय तकनीकी परिषद (एआईसीटीई) ने उच्च न्यायालय द्वारा 10+1 प्रवेश स्तर योग्यता वाले पोस्ट डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स करने की अनुमति देने पर आपत्ति प्रकट की, क्योंकि इस तरह के कोर्स से डिप्लोमा धारकों को बी.टेक की डिग्री हासिल करने में मदद मिलती थी, जो एक प्रमुख नीतिगत बदलाव था और इसने डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के मूल उद्देश्य को भी विफल कर दिया और डिग्री कोर्स की प्रभावकारिता को कम कर दिया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. एआईसीटीई का डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अनुमति नहीं देने का निर्णय और 10+1 परीक्षा (10+2 परीक्षा के बजाय) उत्तीर्ण करने वालों को ब्रिज कोर्स लेने की अनुमति नहीं देने का निर्णय तकनीकी शिक्षा नीति से संबंधित है जो उनके विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नीतिगत मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगें।[पैरा 15] [870-एफ-जी]

डॉ. जे.पी. कुलश्रेष्ठ बनाम कुलाधिपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय **1980 (3) एस.सी.सी. 418**; महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेशकुमार शेठ **1984 (4) एस.सी.सी. 27;** तमिलनाडु राज्य बनाम अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान **1995 (4) एस.सी.सी. 104;** आंध्र प्रदेश सरकार बनाम जे.बी.

शैक्षणिक समाज **2005 (3) एस.सी.सी. 212** और फिल्म समारोह निदेशालय बनाम गौरव अश्विन जैन **2007 (4) एस.सी.सी. 737, पर भरोसा जताया।**

2.1 यह तथ्य कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती नहीं दी गई थी और उन्हें पहले ही प्रभावी कर दिया गया था, वर्तमान चुनौती के आड़े नहीं आएगा। यह संभव है कि एआईसीटीई ने पहले के फैसले का विरोध नहीं किया क्योंकि यह सोचा गया था कि यह एक बार का उपाय था या क्योंकि इसे केवल एक संस्थान के संदर्भ में एक छोटे वर्ग पर लागू किया जाएगा, या क्योंकि इससे केवल उन लोगों को लाभ होगा जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इंजीनियरिंग डिग्री के लिए प्रवेश स्तर की परीक्षा, यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 10+2। यह भी संभव है कि एआईसीटीई ने इस तरह के निर्णय के प्रभाव या धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना का आकलन या एहसास नहीं किया हो। [पैरा 16] [871-डी-एफ]

2.2 यह तथ्य कि संस्थान से डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों का अनुपालन किया गया था, और उन निर्णयों को अंतिम रूप दे दिया गया, जो एआईसीटीई द्वारा समान रूप से रखे गए उम्मीदवार/छात्र अन्य संबंधित

किसी भी बाद के निर्णय को चुनौती देने के रास्ते में नहीं आएंगे। हालाँकि, यह उन मामलों में याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाभ को नहीं छीन सकता है, जहां निर्णय अंतिम हो गया था, इस आधार पर कि बाद में अदालत ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। [पैरा 16] [872-एफ-एच]

महाराष्ट्र राज्य बनाम दिगंबर **1995 (4) एस. सी. सी. 683 और** कर्नल बी.के. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार **2006 (11) एस.सी.सी. 709, पर भरोसा जताया।**

3. यदि एआईसीटीई का विचार था कि केवल 10+2 (पीसीएम विषयों के साथ) वाले डिप्लोमा धारकों को तदर्थ ब्रिज कोर्स द्वारा अपनी योग्यता को अपग्रेड करने की अनुमति दी जानी चाहिए या ऐसा ब्रिज कोर्स एक नियमित या स्थायी सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो यह ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। न्यायालय अपने आदेश से पाठ्यक्रम नहीं बना सकतीं, न ही उन पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दे सकती हैं जो कानून के अनुसार नहीं बनाए गए थे, या प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता को कम नहीं कर सकती हैं। 10+1 चार साल का पोस्ट डिप्लोमा कोर्स पूरा कर चुके उम्मीदवारों को ब्रिज कोर्स करने की अनुमति देने का उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 17] [873 - एफ-एच; 874-ए]

4. यह एक उत्कृष्ट मामला है जहां एक शैक्षिक पाठ्यक्रम बिना किसी पूर्व वैधानिक या शैक्षणिक मूल्यांकन या स्वीकृति के, केवल न्यायालय के आदेश द्वारा बनाया और जारी रखा गया है। किसी नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक/तकनीकी पहलुओं की जांच की आवश्यकता होती है जो केवल एआईसीटीई जैसी विशेषज्ञ संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। इस कार्य को स्पष्ट रूप से न्यायालयों द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता या उसका निर्वहन नहीं किया जा सकता। इस मामले में, उदाहरण के लिए, न्यायालय के एक आदेश द्वारा, चार साल के एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए एक ब्रिज कोर्स की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने पीसीएम विषयों के साथ 10+2 की प्रवेश स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद, एक अन्य मामले में एक अन्य परमादेश द्वारा, जो एक बार का उपाय था उसे कई वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और पोस्ट डिप्लोमा धारकों के लिए भी बढ़ा दिया गया। फिर से एक अन्य परमादेश द्वारा, इसे उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया जिन्होंने आवश्यक न्यूनतम 10+2 परीक्षा के बजाय केवल 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रत्येक निर्देश का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन छात्रों को राहत देना था जो अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहते थे, विशुद्ध रूप से एक तदर्थ उपाय के रूप में। लेकिन साथ में वे

शैक्षिक मानकों को अनजाने में कमज़ोर कर देते हैं, जिससे इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के मानकों और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायालयों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। [पैरा 18] [874-बी-ई]

5. उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द किया जाता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा आदेश ऐसे किसी भी अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा, न ही किसी भी ऐसे अभ्यर्थी के रास्ते में आएगा जो पहले ही उच्च न्यायालय के आलौच्य आदेशों के अनुसरण में, या तो परीक्षा देने या बी.टेक डिग्री प्राप्त करने से ब्रिज कोर्स में प्रवेश ले चुका हो और ब्रिज कोर्स पूरा कर चुका हो (चाहे वह संस्थान से कोई पोस्ट या एडवांस डिप्लोमा धारक हो, किसी भी प्रवेश स्तर की योग्यता के साथ) [पैरा 18] [874 -एफ-जी]

1980 (3) एससीसी 418	भरोसा जताया	पैरा 13
1984 (4) एससीसी 27	भरोसा जताया	पैरा 13
1995 (4)एससीसी 104	भरोसा जताया	पैरा 14
2005 (3) एससीसी 212	भरोसा जताया	पैरा 14
2007 (4) एससीसी 737	भरोसा जताया	पैरा 15

1995 (4) एससीसी 683 भरोसा जताया पैरा 16

2006 (11) एससीसी 709 भरोसा जताया पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4349/2004

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सीडब्ल्यूपी 13239/2002 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 28.11.2002 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 4357/2004, 4358/2004, 4368/2004, 4369/ 2004, 4370/2004, 4390/2004 और 4409/2004।

अपीलार्थी की ओर से एस.चंद्र शेखर और संजीव सचदेवा।

प्रत्यर्थी की ओर से राजीव मिश्रा, (मेसर्स. पारेख एंड कंपनी), आर. सी. कौशिक, अमित कुमार, रामेश्वर प्रसाद गोल और एस. श्रीनिवासन।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

न्यायाधिपति आर वी रवीन्द्रन 1. सातवां प्रत्यर्थी - वाईएमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, फ़रीदाबाद (संक्षेप में 'संस्थान'), राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से संबद्ध, कई वर्षों से विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में 10+1 की प्रवेश स्तर योग्यता के साथ चार साल की अवधि के

पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा था। प्रत्यर्थी उक्त संस्थान से पोस्ट डिप्लोमा धारक हैं, जिसके पास उक्त पाठ्यक्रम में शामिल होने पर 10+1 की प्रवेश योग्यता थी।

2. संस्थान ने उपरोक्त चार वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम को चार साल की अवधि के 'एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम' में बदलने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद - यहां अपीलकर्ता (संक्षेप में 'एआईसीटीई') से अनुमति ली । एआईसीटीई ने अपने पत्र दिनांक 26.10.1995 द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुई है, ऐसे रूपांतरण के लिए मंजूरी प्रदान की:

(i) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्तर 11 वीं (10+1) से बढ़ाकर 12 वीं (10+2) मानक तक किया जाना चाहिए।

(ii) पाठ्यक्रम की अवधि 10+2 के बाद 4 वर्ष होगी।

(iii) उक्त अनुमोदन पत्र के अनुलग्नक-I में एआईसीटीई द्वारा सुझाए गए अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, संस्थान के चार वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स को 1995 से चार वर्षीय एडवांस डिप्लोमा कोर्स में बदल दिया गया।

3. संस्थान के अनुरोध पर, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा और एआईसीटीई ने वर्ष 1997 में चार वर्षीय एडवांस डिप्लोमा कोर्स को पांच वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम (बी.टेक डिग्री) में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। परिणामस्वरूप, संस्थान ने संबद्ध विश्वविद्यालय और एआईसीटीई की अनुमति से शैक्षणिक वर्ष 1997-98 से बी.टेक कार्यक्रम शुरू किया। उस वर्ष से, संस्थान ने चार वर्षीय एडवांस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश बंद कर दिया

4. चार वर्षीय पोस्ट/एडवांस डिप्लोमा कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अपने छात्रों को इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए, संस्थान एक साल का ब्रिज कोर्स शुरू करना चाहता था। इसके आवेदन पर, हरियाणा सरकार ने संस्थान के डिप्लोमा धारकों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम के शेष हिस्से को पूर्ण करने और बी.टेक डिग्री हासिल करने के लिए 22 सप्ताह के दो विस्तारित सेमेस्टर के साथ एक साल के ब्रिज कोर्स को मंजूरी दे दी। हरियाणा राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक ने एआईसीटीई को दिनांक 19.5.1999 को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें संस्थान द्वारा पोस्ट/एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 1992-96, 1993-97 और 1994-98 के दौरान उत्तीर्ण करने वाले अपने छात्रों के लाभ के लिए उक्त ब्रिज कोर्स शुरू करने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी।यह कहा

गया कि डिप्लोमा धारकों को उपलब्ध करायी जाने वाली ऐसी प्रवेश सुविधा केवल अगले दो वर्षों के लिए लागू रहेगी।

5. अपीलार्थी ने अनुमति से इनकार करने के निम्नलिखित कारण बताकर पत्र दिनांक 9.7.1999 द्वारा अनुरोध को खारिज कर दिया:

(i) डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स को मंजूरी देने के लिए एआईसीटीई नियमों में कोई प्रावधान नहीं था।

(ii) किसी भी ब्रिज कोर्स को मंजूरी देने में एआईसीटीई की ओर से एक बड़ा नीतिगत बदलाव शामिल होगा। इसका असर देशभर की तकनीकी शिक्षा पर भी पड़ेगा।

(iii) यदि ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से डिप्लोमा को डिग्री में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई, तो डिप्लोमा स्तर की शिक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

(iv) डिप्लोमा धारकों को इंजीनियरिंग कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद था।

6. हरियाणा राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक ने अपनी सिफारिश के समर्थन में कारण बताते हुए अनुमोदन के लिए सिफारिश दोहराई। संस्थान और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के छात्रों ने भी एआईसीटीई और

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। इसलिए एआईसीटीई ने पुनर्विचार किया और 15.9.1999 को आयोजित अपनी बैठक में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और दिनांक 11.11.1999 को पत्र द्वारा अस्वीकृति की सूचना दी।

7. संस्थान के 102 छात्र, जो इंजीनियरिंग में एडवांस डिप्लोमा कोर्स में शामिल हुए थे, ने दिसंबर, 1999 में व्यथित महसूस करते हुए, सीडब्ल्यूपी संख्या 7364/1999 दायर करके निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया: (i)एआईसीटीई के दिनांकित 9.7.1999 और 11.11.1999 सूचना को रद्द करने के लिए; और (ii) इंजीनियरिंग में चार साल के एडवांस डिप्लोमा कोर्स को एक साल के ब्रिज कोर्स के साथ बी.टेक प्रोग्राम में अपग्रेड करने की मंजूरी देने के लिए भारत संघ और एआईसीटीई को निर्देश देने के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.9.2000 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, एआईसीटीई के दिनांक 9.7.1999 और 11.11.1999 के अस्वीकृति पत्रों को रद्द कर दिया और एआईसीटीई को संस्थान को अपने उन छात्रों के लिए जिन्होंने एडवांस डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाई की थी और पढ़ रहे थे। ब्रिज कोर्स करने की मंजूरी देने का निर्देश दिया।

8. इसके बाद कुछ छात्र जिन्होंने पूर्ववर्ती पोस्ट डिप्लोमा कोर्स पास किया था, उन्होंने 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और चार साल के एडवांस डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को दी गई राहत के समान राहत की मांग की। उन याचिकाओं को 28.5.2001 और 30.10.2001 को अनुमति दी गई और 21.12.2001 को एक लेटर्स पेटेंट अपील में इसकी पुष्टि की गई। इन बाद के आदेशों ने ब्रिज कोर्स का लाभ पोस्ट डिप्लोमा धारकों तक भी बढ़ा दिया, बशर्ते कि उन्होंने 10+2 परीक्षा (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ) उत्तीर्ण की हो और चार साल का डिप्लोमा कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

9. इसके बाद, अन्य पोस्ट डिप्लोमा धारक, जिन्होंने केवल 10+1 की योग्यता के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश किया, ने सीडब्ल्यूपी नंबर 16232/2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 15.3.2002 के आदेश द्वारा उक्त याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि ब्रिज कोर्स में प्रवेश के लिए प्रासंगिक मानदंड चार साल का पोस्ट या एडवांस डिप्लोमा होना था, और तथ्य यह है कि उनमें से कुछ ने 10+2 परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी जबकि अन्य ने 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पोस्ट/एडवांस डिप्लोमा में शामिल होने से पहले ब्रिज कोर्स में प्रवेश के

लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उन्होंने माना कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश योग्यता, यानी 10+2 या 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण करने के संदर्भ में पोस्ट डिप्लोमा धारकों और एडवांस डिप्लोमा धारकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

10. यहां प्रत्यर्थी जो पोस्ट डिप्लोमा धारक भी थे, लेकिन जिन्होंने 10+1 (और 10+2 परीक्षा नहीं) की प्रवेश स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 28.11.2002 के आक्षेपित आदेशों द्वारा, सीडब्ल्यूपी संख्या 16232/2001 में दिनांक 15.3.2002 के पूर्व निर्णय के बाद उनकी रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी। इन अपीलों में उक्त आदेशों को विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गई है।

11. एआईसीटीई की आपत्ति हाई कोर्ट द्वारा 10+1 प्रवेश स्तर योग्यता वाले पोस्ट डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स करने की दी गई अनुमति पर है. एआईसीटीई ने ब्रिज कोर्स के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस तरह के कोर्स से डिप्लोमा धारकों को बी.टेक की डिग्री हासिल करने में मदद मिलती थी, जो एक प्रमुख नीतिगत बदलाव था और इसने डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के मूल उद्देश्य को भी विफल कर दिया और डिग्री कोर्स की प्रभावकारिता को कम कर दिया। लेकिन जब दिल्ली उच्च

न्यायालय ने 20.9.2000 को ब्रिज कोर्स को मंजूरी देने का निर्देश दिया, तो उन्होंने आदेश का विरोध नहीं किया, क्योंकि इसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों के संबंध में एक बार का उपाय करना था, जिन्होंने चार साल का एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया था और जिसकी प्रवेश स्तर की परीक्षा इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात 10+2 के लिए प्रवेश स्तर की परीक्षा के समान थी। इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें चार साल के पोस्ट डिप्लोमा धारकों को लाभ दिया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राहत केवल उन लोगों तक ही सीमित थी जिनकी प्रवेश स्तर की योग्यता 10 + 2 थी। यह तर्क दिया गया है कि जब 10+1 प्रवेश स्तर की योग्यता वाले चार वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स लेने की अनुमति देकर मानदंडों और शर्तों को और कमजोर करने की मांग की गई, तो उन्होंने आगे किसी भी गिरावट का विरोध करने के निर्णय को चुनौती देने का निर्णय लिया। यह तर्क दिया गया है कि यदि निर्णय को कायम रहने दिया जाता है, तो यह उन उम्मीदवारों को अनुमति देगा जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश स्तर की योग्यता नहीं है, वे प्रवेश स्तर की योग्यता के बिना, बैकडोर एंट्री से प्रवेश करके इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्रवेश स्तर की योग्यता

10+1 वाले पोस्ट डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स का लाभ देना और 10+1 प्लस चार साल के पोस्ट डिप्लोमा को 10+2 चार साल के एडवांस डिप्लोमा के बराबर करना शैक्षणिक मानकों के लिए अहितकर होगा और संपूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रणाली को खतरे में डालते हैं क्योंकि इससे समकक्षता, पार्श्व प्रवेश और अन्य संस्थानों या विश्वविद्यालयों से प्रवेश योग्यता को कम करने की समान मांग हो सकती है, जिससे इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में देशव्यापी गिरावट आ सकती है। यह तर्क दिया गया है कि एआईसीटीई की आपत्ति डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की पूरी प्रक्रिया पर है, विशेष रूप से मानकों को कम करने के किसी भी प्रयास पर।

12. अपीलार्थी की बात में काफी बल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 [संक्षेप में 'अधिनियम'] की धारा 10 के खंड (i) और (k) को ध्यान में रखते हुए, किसी भी नए प्रस्ताव पर विचार करना और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए अनुमोदन देना, और पाठ्यक्रम, निर्देश, मूल्यांकन और परीक्षाओं सहित किसी भी पाठ्यक्रम के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना एआईसीटीई का कार्य है। यह निर्णय कि क्या डिप्लोमा धारकों को इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ब्रिज कोर्स को एक कार्यक्रम के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए, और यदि अनुमति दी

जाती है, तो प्रवेश योग्यता, पाठ्यक्रम निर्देशों की सामग्री और परीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन का आकलन करने के तरीके के संबंध में क्या मानदंड और मानक होने चाहिए, सभी निर्णय शैक्षणिक मामलों में तकनीकी प्रकृति के हैं। एआईसीटीई में शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए योग्य और सुसज्जित हैं। दरअसल, इन मामलों पर निर्णय लेने का वैधानिक कर्तव्य उन पर डाला गया है। अदालतें वैधानिक पेशेवर तकनीकी निकायों के स्थान पर खुद को स्थापित करने और तकनीकी शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता से जुड़े शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए न तो सुसज्जित हैं और न ही उनके पास शैक्षणिक या तकनीकी पृष्ठभूमि है। यदि अदालतें अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों की अनुमति देने के लिए व्यक्तिगत संस्थानों या छात्रों की याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देती हैं, या तो उनकी सुविधा के लिए या कठिनाइयों को कम करने के लिए या बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, या क्योंकि वे सोचते हैं कि एक पाठ्यक्रम दूसरे के बराबर है, बिना इसके परिणामों को समझे सामान्य तौर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, इससे शिक्षा में अराजकता आएगी और शिक्षा के मानकों में गिरावट आएगी।

13. शिक्षा पर वैधानिक विशेषज्ञ निकायों की भूमिका और अदालतों की भूमिका को एक सरल नियम द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया

गया है। यदि यह शैक्षिक नीति का प्रश्न है या शैक्षणिक मामले से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो अदालतें अपने हाथ दूर रख देती हैं। यदि कानून के किसी भी प्रावधान या कानून के सिद्धांत की व्याख्या, लागू या लागू किया जाना है, शिक्षा के संदर्भ में या उससे जुड़ा हुआ है, तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी। डॉ. जेपी कुलश्रेष्ठ बनाम चांसलर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय [1980 (3) एससीसी 418] में इस न्यायालय ने कहा कि :-

> "न्यायाधीशों को वहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जहां शिक्षाविद भी जाने से डरते हैं...हालांकि कोई पूर्ण रोक नहीं है, यह विवेक का नियम है कि न्यायालयों को अकादमिक निकायों के निर्णयों को खारिज करने में संकोच करना चाहिए।"

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेशकुमार सेठ [1984 (4) एससीसी 27] में इस न्यायालय ने दोहराया है कि :-

> ".....न्यायालय को पेशेवर व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए विचारों के बजाय शैक्षणिक मामलों के संबंध में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने में बेहद अनिच्छुक होना चाहिए जो बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और उचित है।

शैक्षणिक संस्थानों और उन्हें नियंत्रित करने वाले विभागों के दैनिक कामकाज का तकनीकी विशेषज्ञता और समृद्ध अनुभव होना।"

14. अधिनियम ने एआईसीटीई को (i) पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास (ii) नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना, और (iii) प्रणाली का विनियमन और मानदंडों और मानकों का उचित रखरखाव से संबंधित शक्तियां और कार्य सौंपे हैं। तमिलनाडु राज्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट **[1995 (4)** एससीसी **104]** में, इस न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों की जांच की और अधिनियम के तहत एआईसीटीई के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के दायरे को इस प्रकार समझाया:

"इसकी प्रस्तावना सहित अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि परिषद की स्थापना पूरे देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए अधिनियम के तहत की गई है और ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने के लिए नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में नियुक्त की गई है।

परिषद को तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के उचित रखरखाव को विनियमित करने और सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

.....परिषद पर डाले गए इस कर्तव्य और जिम्मेदारी का तात्पर्य यह है कि निर्धारित किए जाने वाले मानदंड और मानक ऐसे होने चाहिए जो देश में तकनीकी शिक्षा के असंतुलित या अलग-थलग विकास को रोक सकें। इस प्रयोजन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानदंड और मानक ऐसे होने चाहिए जो एक ओर देश के सभी हिस्सों में समान रूप से तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करें; कि तकनीकी शिक्षा और देश के विभिन्न हिस्सों में दी जाने वाली शिक्षा में समन्वय होगा और एक प्रणाली में एकीकृत होने में सक्षम होगा; तकनीकी रूप से शिक्षित व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या होगी और उनका विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा; और यह कि देश के सभी संस्थान परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को उचित रूप से बनाए रखने की स्थिति में हैं। इसलिए, मानदंडों और मानकों को उचित और आदर्श

होना चाहिए और साथ ही, देश भर के संस्थानों द्वारा अनुकूलनीय, प्राप्य और रखरखाव योग्य होना चाहिए ताकि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों की मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। चूँकि मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाना है, इसलिए उन्हें पूरे देश में एक समान होना आवश्यक है, जिसके बिना पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास संभव नहीं होगा, जो क़ानून के मुख्य उद्देश्यों में से एक को विफल कर देगा।....."

आंध्र प्रदेश सरकार बनाम जे.बी. एजुकेशनल सोसाइटी **[2005 (3)** एससीसी **212]** में, इस न्यायालय ने दोहराया कि :

"एआईसीटीई अधिनियम पूरे देश में तकनीकी शिक्षा के विकास को विनियमित और समन्वयित करने और भारत में तकनीकी शिक्षा के उचित और समान मानदंडों और मानक की स्थापना के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।"

15. एआईसीटीई का डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अनुमति नहीं देने का निर्णय और 10+1 परीक्षा (10+2 परीक्षा के बजाय) उत्तीर्ण करने वालों को ब्रिज कोर्स लेने की अनुमति नहीं देने का निर्णय तकनीकी

शिक्षा नीति से संबंधित है जो उनके विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नीतिगत मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगें।फिल्म समारोह निदेशालय बनाम गौरव अश्विन जैन **[2007 (4)** एससीसी **737]** में इस न्यायालय ने बताया है कि :

"न्यायालय किसी नीति की शुद्धता, उपयुक्तता और औचित्य की जांच करने वाले अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं और न ही कर सकती हैं, न ही न्यायालय नीति के मामलों पर कार्यपालिका की सलाहकार हैं, जिसे बनाने का कार्यपालिका हकदार है। सरकार की किसी नीति की जांच करते समय न्यायिक समीक्षा का दायरा यह जांचना है कि क्या यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रावधानों का विरोध करता है, या किसी वैधानिक प्रावधान का विरोध करता है या स्पष्ट रूप से मनमाना है। अदालतें इस आधार पर नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं कि यह गलत है या आधार यह है कि एक बेहतर, निष्पक्ष या समझदार विकल्प उपलब्ध है। नीति की वैधता, न कि नीति की बुद्धिमत्ता या सुदृढ़ता, न्यायिक समीक्षा का विषय है।"

उपरोक्त टिप्पणियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त शक्ति के साथ लागू होंगी।

16. प्रत्यर्थीयों ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने ब्रिज कोर्स की

अनुमति के निर्देश देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है और इसलिए, उसे उस आदेश को चुनौती देने से रोका जाता है जो थोड़े से संशोधन के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करता है। यह तथ्य कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती नहीं दी गई थी और उन्हें पहले ही प्रभावी कर दिया गया था, वर्तमान चुनौती के आड़े नहीं आएगा। यह संभव है कि एआईसीटीई ने पहले के फैसले का विरोध नहीं किया क्योंकि यह सोचा गया था कि यह एक बार का उपाय था या क्योंकि इसे केवल एक संस्थान के संदर्भ में एक छोटे वर्ग पर लागू किया जाएगा, या क्योंकि इससे केवल उन लोगों को लाभ होगा जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इंजीनियरिंग डिग्री के लिए प्रवेश स्तर की परीक्षा, यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 10+2 । यह भी संभव है कि एआईसीटीई ने इस तरह के निर्णय के प्रभाव या धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना का आकलन या एहसास नहीं किया हो। यह सवाल कि क्या सरकार या एक वैधानिक निकाय जिसने न्यायालय के पहले के फैसले को स्वीकार किया और लागू किया था, अलग-अलग लेकिन समान रूप से पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भ में, ऐसे पूर्व के फैसले के बाद न्यायालय के बाद के फैसलों को चुनौती दे सकता है, में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था । महाराष्ट्र राज्य बनाम दिगंबर **- 1995 (4)** एससीसी **683** और

कर्नल बी.के. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार - **2006 (11)** एससीसी **709**। इस न्यायालय ने माना कि न तो न्यायिक निर्णय का सिद्धांत, न ही विबंध का सिद्धांत, न ही वैध अपेक्षा के सिद्धांत, न ही कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांत को आकर्षित किया गया और ऐसी चुनौती पर कोई रोक नहीं थी। बी.के. अक्कारा के मामले में सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है:

> "उच्च न्यायालय के किसी विशेष फैसले को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है जहां वित्तीय प्रभाव नगण्य हैं या जहां अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है। इसे संबंधित अधिकारियों की लापरवाही या निरीक्षण के कारण या गलत विधिक राय या इसमें शामिल मुद्दे की गंभीरता या परिमाण की गैर-समझदारी के कारण भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, जब बाद में इसी तरह के मामले सामने आते हैं और वित्तीय निहितार्थों की भयावहता का एहसास होता है, तो राज्य को बाद में फैसले या बाद की रिट याचिकाओं का विरोध को चुनौती देने से रोका या प्रतिबंधित नहीं किया जाता है भले ही समान मुद्दे से जुड़े मामले में फैसले को दूसरों के मामले में अंतिम तक पहुंचने की अनुमति दी गई

थी। बेशक, स्थिति को अलग तरह से देखा जाएगा, अगर याचिकाकर्ता दलील देते हैं और साबित करते हैं कि राज्य ने 'उठाया और चुना' अपनाया है और केवल दुर्भावनापूर्ण या गुप्त उद्देश्यों के कारण याचिकाकर्ताओं को बाहर करने का तरीका चुनें।"

3. वित्तीय निहितार्थों के संदर्भ में टिप्पणियाँ, अन्य स्थितियों में भी समान रूप से लागू होंगी, जैसे कि इस मामले में, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर प्रभाव/नतीजे शामिल हैं, जिससे शैक्षिक मानकों में गिरावट आ रही है। इसलिए, तथ्य यह है कि संस्थान से डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों का अनुपालन किया गया था, और उन निर्णयों को अंतिम रूप दे दिया गया, जो एआईसीटीई द्वारा समान रूप से रखे गए उम्मीदवार/छात्र अन्य संबंधित किसी भी बाद के निर्णय को चुनौती देने के रास्ते में नहीं आएंगे। हालाँकि, यह उन मामलों में याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाभ को नहीं छीन सकता है, जहां निर्णय अंतिम हो गया था, इस आधार पर कि बाद में अदालत ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

17. प्रत्यर्थीयों द्वारा यह तर्क दिया गया कि एआईसीटीई को 10+2 कोर्स करने वालों और 10+1 कोर्स करने वालों के बीच अंतर नहीं करना

चाहिए, क्योंकि एक बार जब उन्हें प्रवेश मिल गया और उन्होंने पोस्ट डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, तो वे सभी समान बन गए और ब्रिज कोर्स सभी चार वर्षीय डिप्लोमा धारकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। एआईसीटीई ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि उसने एक साल के ब्रिज कोर्स की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन किया है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल उन उम्मीदवारों के लिए एक बार उपलब्ध उपाय था, जिनके पास 10 + 2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित की प्रवेश स्तर की योग्यता थी और चार साल का पोस्ट/एडवांस डिप्लोमा था । उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि एक उम्मीदवार द्वारा पोस्ट/एडवांस डिप्लोमा हासिल करने के बाद प्रवेश स्तर की योग्यता प्रासंगिक नहीं है। इस मुद्दे की जांच एक ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश के संदर्भ में की जानी थी जो एक अलग पाठ्यक्रम नहीं था, बल्कि एक विशेष ब्रिज कोर्स था जिसके कारण इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती थी जिसके लिए प्रवेश स्तर की योग्यता 10+2 थी। एआईसीटीई की राय थी कि इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता के मानदंडों/मानकों को 10+1 की कम प्रवेश योग्यता की अनुमति देकर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। यह विचार था कि जिन व्यक्तियों के पास इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के

लिए निर्धारित प्रवेश स्तर की योग्यता नहीं है, उन्हें चार साल के पोस्ट/एडवांस डिप्लोमा कोर्स और एक साल के ब्रिज कोर्स के माध्यम से बैकडोर एंट्री के ज़रिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये शैक्षिक मुद्दे हैं, इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, केवल इसलिए कि न्यायालय ने अन्यथा सोचा। यदि एआईसीटीई का विचार था कि केवल 10+2 (पीसीएम विषयों के साथ) वाले डिप्लोमा धारकों को तदर्थ ब्रिज कोर्स द्वारा अपनी योग्यता को अपग्रेड करने की अनुमति दी जानी चाहिए या ऐसा ब्रिज कोर्स एक नियमित या स्थायी सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो यह ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। न्यायालय अपने आदेश से पाठ्यक्रम नहीं बना सकतीं, न ही उन पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दे सकती हैं जो कानून के अनुसार नहीं बनाए गए थे, या प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता को कम नहीं कर सकती हैं। 10+1 चार साल का पोस्ट डिप्लोमा कोर्स पूरा कर चुके उम्मीदवारों को ब्रिज कोर्स करने की अनुमति देने का उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

18. यह एक उत्कृष्ट मामला है जहां एक शैक्षिक पाठ्यक्रम बिना किसी पूर्व वैधानिक या शैक्षणिक मूल्यांकन या स्वीकृति के , केवल न्यायालय के आदेश द्वारा बनाया और जारी रखा गया है। किसी नए

पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक/तकनीकी पहलुओं की जांच की आवश्यकता होती है जो केवल एआईसीटीई जैसी विशेषज्ञ संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। इस कार्य को स्पष्ट रूप से न्यायालयों द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता या उसका निर्वहन नहीं किया जा सकता। इस मामले में, उदाहरण के लिए, न्यायालय के एक आदेश द्वारा, चार साल के एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए एक ब्रिज कोर्स की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने पीसीएम विषयों के साथ 10 + 2 की प्रवेश स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद, एक अन्य मामले में एक अन्य परमादेश द्वारा, जो एक बार का उपाय था उसे कई वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और पोस्ट डिप्लोमा धारकों के लिए भी बढ़ा दिया गया। फिर से एक अन्य परमादेश द्वारा, इसे उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया जिन्होंने आवश्यक न्यूनतम 10+2 परीक्षा के बजाय केवल 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रत्येक निर्देश का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन छात्रों को राहत देना था जो अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहते थे, विशुद्ध रूप से एक तदर्थ उपाय के रूप में। लेकिन साथ में वे शैक्षिक मानकों को अनजाने में कमज़ोर कर देते हैं, जिससे इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के मानकों और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायालयों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए

18. उपरोक्त के मद्देनजर, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द करते हैं और रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा आदेश ऐसे किसी भी अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा, न ही किसी भी ऐसे अभ्यर्थी के रास्ते में आएगा जो पहले ही उच्च न्यायालय के आलौच्य आदेशों के अनुसरण में, या तो परीक्षा देने या बी.टेक डिग्री प्राप्त करने से ब्रिज कोर्स में प्रवेश ले चुका हो और ब्रिज कोर्स पूरा कर चुका हो (चाहे वह संस्थान से कोई पोस्ट या एडवांस डिप्लोमा धारक हो, किसी भी प्रवेश स्तर की योग्यता के साथ)।

अपीलें स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से न्यायिक अधिकारी राम किशन शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्य के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

(रामकिशन शर्मा)RJS-{RJ00658}

विशिष्ट न्यायाधीश,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) प्रकरण,

सीकर(राजस्थान)